

**भारतीय भाषा संस्थान**  
**शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार**  
**हुणसुर रोड, मानसगंगोत्री, मैसूरु – 570 006**

**छात्रवृत्ति की घोषणा**

**1. परिचय:**

भारतीय भाषा संस्थान (भा.भा.सं.) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन भारतीय भाषाओं के समृद्धिकरण हेतु स्थापित एक शीर्ष संस्थान है। यह भाषा नीतियों और उससे संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विभिन्न सरकारी एजेंसियों को परामर्श और सहायता देता है। इस संस्थान को प्रायः देश की कई भाषाओं, शिक्षा के स्तर और कई उद्देश्यों से जुड़ी विभिन्न मूल्यांकन आवश्यकताओं के कार्यान्वयन हेतु मदद करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अध्येतावृत्ति एवं छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, भा.भा.सं. प्रतिवर्ष पाँच (5) छात्रवृत्ति प्रदान कर भाषा-संबंधी प्रचार गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रहा है।

**2. छात्रवृत्ति योजना के उद्देश्य:**

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों को भारतीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों आदि में भाषाविज्ञान एवं भाषा में स्नातकोत्तर/मास्टर/समेकित स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार अवसर प्रदान करना है:

भारतीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान आदि को निम्नानुसार दर्शाया गया है:

- i. यू.जी.सी अधिनियम, 1956 की धारा 2(f) और 12(b) के अंतर्गत सम्मिलित विश्वविद्यालय/संस्थान/ महाविद्यालय।
- ii. यू.जी.सी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत ऐसे डीम्ड विश्वविद्यालय जो यू.जी.सी से सहायता अनुदान के पात्र हैं।
- iii. केंद्र/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय/ संस्थान/ महाविद्यालय।
- iv. राष्ट्रीय महत्व के संस्थान।

साथ ही, समकालीन संदर्भ में इसका व्यापक उद्देश्य भारतीय भाषाओं के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भाषाविज्ञान में कुशल विशेषज्ञों और प्रशिक्षित पेशेवरों को तैयार करना है। इसका विशिष्ट उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के ऐसे युवा छात्र जिनकी रुचि भाषाविज्ञान/लैंग्वेज साइंसेस में है, को प्रोत्साहित करना और भारतीय भाषाओं के प्रलेखीकरण, विवरण और शोध को बढ़ावा देना है।

### 3. छात्रवृत्ति योजना का क्षेत्र:

छात्रवृत्ति का उद्देश्य युवा आदिवासी छात्रों को भाषाविज्ञान और भाषा में स्नातकोत्तर/मास्टर/समेकित स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता अपनी पसंद के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ अनुसंधान संस्थान में अपना पाठ्यक्रम/कार्यक्रम कर सकते हैं।

### 4. छात्रवृत्ति के लिए पात्रता:

- 4.1 अनुसूचित जनजाति के ऐसे व्यक्ति जिनके पास भाषाविज्ञान/ लैंग्वेज साइंसेस या अन्य संबंधित विषयों में स्नातक/स्नातक स्तर पर न्यूनतम 50% अंक या समकक्ष ग्रेड।
- 4.2 आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विशिष्ट दिव्यांग अभ्यर्थियों को आयु में 5 वर्ष की छूट होगी।
- 4.3 जो अभ्यर्थी पहले से ही किसी अन्य अध्येतावृत्ति का लाभ उठा चुके हैं/प्राप्त कर रहे हैं, वे आवेदन के पात्र नहीं हैं। आवेदक को आवेदन के साथ यह प्रमाणित करना होगा कि स्नातकोत्तर स्तर की किसी अन्य अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठाया है या उठा रहा है।
- 4.4 भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान में स्नातकोत्तर /समेकित मास्टर डिग्री के लिए पंजीकृत प्रामाणिक छात्र आवेदन करने के पात्र हैं।
- 4.5 समेकित एम.ए./एम.एस.सी करने वाले आवेदक को तीन वर्षीय स्नातक डिग्री या उसके समकक्ष पाठ्यक्रम पूरा किया होना चाहिए।
- 4.6 छात्रवृत्ति की अवधि अधिकतम दो (02) वर्ष है। अवधि किसी भी परिस्थिति में विस्तारित नहीं की जाएगी।
- 4.7 छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत निर्धारित छात्रवृत्तियों की संख्या पाँच (5) है।
- 4.8 छात्रवृत्ति के लिए वित्तीय सहायता राशि 10,000/- रुपये प्रति माह और वार्षिक आकस्मिक अनुदान 20,000/- रुपये है।

### 5. अन्य शर्तें:

- 5.1 अभ्यर्थी बेरोजगार होना चाहिए, साथ ही यह छात्रवृत्ति अत्यंत योग्य अभ्यर्थी को ही दी जाएगी। ध्यातव्य है कि, यह छात्रवृत्ति स्नाकोत्तर कार्यक्रम के छात्र के रूप में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है, अपितु यह अध्येताओं की निरंतर प्रगति और प्रदर्शन पर आधारित है।
- 5.2 कोई भी अध्येता एक ही प्रकार की छात्रवृत्ति का एक से अधिक बार हकदार नहीं होगा।
- 5.3 भा.भा.सं. से छात्रवृत्ति स्वीकार करते समय, अध्येताओं को किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान से कोई अन्य अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति नहीं लेनी है।
- 5.4 अध्येता को संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान में नियमित/पूर्णकालिक आधार पर नामांकित होना चाहिए। यदि छात्र अनुत्तीर्ण हो जाता है या उसे अगले सेमेस्टर में पदोन्नत नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी।
- 5.5 अध्येताओं की प्रगति की आवधिक/समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और प्रगति असंतोषजनक पाए जाने पर संस्थान द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी।
- 5.6 छात्रवृत्ति आरंभ होने की तारीख से दो साल के अंत में या स्नाकोत्तर /समेकित मास्टर के पूरा होने के दिन, जो भी पहले हो, समाप्त कर दी जाएगी।
- 5.7 अंतिम तीन महीनों की छात्रवृत्ति और अंतिम वर्ष की आकस्मिक अनुदान राशि, संस्थान द्वारा अंक-पत्र और प्रमाण-पत्र मिलने के पश्चात ही जारी की जाएगी।
- 5.8 संस्थान बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने या अध्येतावृत्ति वापस लेने/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। दिशा-निर्देशों की व्याख्या या ऊपर छूट गए/अकथित किसी भी अन्य मुद्दे से संबंधित अंतिम अधिकार निदेशक, भा.भा.सं. के पास सुरक्षित है।

## 6. चयन प्रक्रिया:

योग्य अभ्यर्थी का चयन संस्थान द्वारा आयोजित छात्रवृत्ति परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। छात्रवृत्ति परीक्षा ऑनलाइन या भा.भा.सं. मैसूर में ऑन-साइट हो सकती है।

## 7. आरक्षण:

इस योजना के अंतर्गत निर्धारित छात्रवृत्तियों की संख्या पाँच है तथा यह अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। यहाँ अनुसूचित जनजाति शब्द का तात्पर्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 (25) के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्तियों से है।

## 8. छात्रवृत्ति का संवितरण:

भारतीय भाषा संस्थान मासिक आधार पर पी.एफ.एम.एस/ऑनलाइन माध्यम से अध्येता के खाते में अध्येतावृत्ति अंतरित करेगा। इसके लिए प्रत्येक अध्येता को द्वि-वार्षिक आधार पर 'उपस्थिति और संतोषजनक प्रदर्शन का प्रमाण-पत्र' की रिपोर्ट भा.भा.सं. में जमा करनी होगी। दूसरे सेमेस्टर से मासिक छात्रवृत्ति जारी करना पिछले सेमेस्टर के सफल समापन और संबंधित विभाग द्वारा सत्यापित प्रगति रिपोर्ट की प्राप्ति के उपरांत ही होगा। अध्येता द्वारा प्रति वर्ष किए गए वास्तविक व्यय का भुगतान अध्येता द्वारा हस्ताक्षरित तथा विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने के उपरांत ही अध्येता द्वारा जमा किए गए बिलों/वाउचरों की जाँच के बाद ही वार्षिक आकस्मिक अनुदान से इसे अध्येता के खाते में अंतरित किया जाएगा।

## 9. आवेदन की प्रक्रिया:

ऑनलाइन आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन करने के लिए कृपया भा.भा.सं. के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल <https://apply.ciil.org/> पर 21 मई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में, पूर्ण रूप से भरे आवेदन [fellowships.ciil@gmail.com](mailto:fellowships.ciil@gmail.com) पर 21 मई 2024 तक ईमेल द्वारा प्रेषित भी किए जा सकते हैं।

निदेशक, भा.भा.सं.

अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

प्रभारी अधिकारी

अध्येतावृत्ति एवं छात्रवृत्ति योजना

भारतीय भाषा संस्थान,

हुणसुर रोड, मानसगंगोत्री,

मैसूरु- 570 006

कर्नाटक, भारत

फ़ोन: 0821-2345087

ईमेल: [fellowships.ciil@gmail.com](mailto:fellowships.ciil@gmail.com)